



भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर / Bidhan Nagar,
कोलकाता / Kolkata-700064

सं/No.वीईसीसी/VECC/सीएचएसएस/CHSS/2023/678

अप्रैल / April 18, 2023

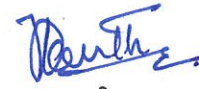
पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय : सीएचएसएस के तहत अस्पताल आवास के लिए पात्रता का पुनर्वर्गीकरण।

Sub : Re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय जापन संख्या 7/16/2016/IR&W/4909 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of DAE Office Memorandum No. 7/16/2016/IR&W/4909 dated 13.04.2023 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance please.

 18/04/2023

(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्ठ /

V.S.N.V.R. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस) /

Asstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि

Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।

All CHSS beneficiaries of VECC – through Notice Boards & VECC Website.

Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता /
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख /
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163 / Administrative Officer,
RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.

7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.



(फोन 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
22824354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400 001.

सं. Ref : 7/16/2016/IR&W/4909

अप्रैल April 13, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय: सीएचएसएस के तहत अस्पताल आवास के लिए पात्रता का पुनर्वर्गीकरण।

Sub : Re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS.

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए अस्पताल आवास की पात्रता को विभाग के दिनांक 21.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 7/16/2016/IR&W/9795 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

Consequent on implementation of 7th CPC the entitlement of Hospital accommodation for CHSS beneficiaries was notified by the Department vide OM No. 7/16/2016/IR&W/9795 dated 21.07.2017.

2. अस्पताल आवास की पात्रता के मामले की सीएचएसएस समीक्षा समिति द्वारा पुनः जांच की गई और वेतन के बजाय लेवल के आधार पर अस्पताल आवास की पात्रता के पुनर्वर्गीकरण की संस्तुति की गई। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अस्पताल आवास के वर्गीकरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

The matter of entitlement of hospital accommodation was re-examined by the CHSS Review Committee and recommended the re-classification of entitlement of Hospital accommodation based on level rather than Pay. In supersession of the above said OM, it has been decided to revise the classification of entitlement of hospital accommodation for serving / retired employees as follows:

क्र.सं. Sr. No.	लेवल के आधार पर कर्मचारियों की श्रेणी Category of employees according to level	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1	लेवल 8 तक Upto Level 8	कॉमन टाइलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 4 बेड 4 beds in a room with common toilet/bathroom
2.	लेवल 9- लेवल 14 Level 9 – Level 14	अटैच टाइलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 2 बेड 2 beds in a room with attached toilet/bathroom

3	लेवल 15 व उससे ऊपर Level 15 and above	रेफर किए गए अस्पताल में उपलब्धता के आधार पर अटैच टाइलेट/बाथरूम के साथ सिंगल बेड एसी आवास Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet/bathroom
---	--	--

3. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन की समरूपता टेबल के अनुसार गणना की जाएगी।

The pay of retired employees prior to 7th CPC may be calculated as per concordance table.

4. अस्पताल आवास के संबंध में सभी अन्य प्रावधान दिनांक 22.01.1998 के का जा सं. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 द्वारा परिचारित सीएचएसएस के अनुलग्नक-1 के अनुसार रहेंगे।

All other provisions regarding entitlement of Hospital accommodation are as indicated in Annexure-I of CHSS circulated vide OM No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.01.1998.

5. यह कार्यालय जापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of its issue.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई. रवींद्रन E. Ravendiran)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी/ यूनिट प्रमुख/ यूनिटों के प्रशासनिक प्रधान
All CHSS Administering Authorities / Heads of Units / Administrative Heads of Units:

प्रति Cc :

1. अध्यक्ष आईसी एवं सचिव, पऊवि का कार्यालय
O/o Chairman AEC & Secretary, DAE
2. संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि का कार्यालय O/o JS(A&A), DAE
3. पऊवि, दर्पण DAE, Darpan.